

(127)

राजस्थान-सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)
(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel. 2227033)

क्रमांक: एफ 61(197) SSAAT / लोकपाल नियुक्ति /2021-2022/ 82919

जयपुर, दिनांक
13/06/2022

कार्यालय आदेश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के क्रियान्वयन से संबंधित जन अभाव अभियोग निराकरण के लिए लोकपाल नियोजन हेतु, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 23/12/2021 में उल्लेखित राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंका पर निम्नांकित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने अंकित जिले के लिए, कार्य ग्रहण करने की तिथि से लोकपाल नियुक्ति किया जाता है :-

क्र.सं.	जिला	लोकपाल का नाम एवं पता	जन्मतिथि
1.	अलवर	श्री विष्णु दत्त शर्मा पुत्र स्व० श्री रामस्वरूप शर्मा, मालाखेडा दरवाजे के बाहर, पीलखाने के पास, जिला अलवर।	20.07.1957
2.	बीकानेर	श्री किशोर सिंह पुत्र श्री राम सिंह, विचला बास, श्री कोलायत जिला बीकानेर।	25.06.1977
3.	जयपुर	श्री रामावतार पुत्र श्री चूनाराम, मधुकरगोड कॉलोनी, कोटपुतली, जिला जयपुर।	20.07.1956
4.	झुंझुनु	श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री मातादीन, विद्या निकेतन वायु सैनिक एकेडमी के पास, राजोता, खेतड़ी, जिला झुंझुनु।	04.03.1957
5.	सीकर	श्री हरिराम मंगावा पुत्र स्व० श्री धन्नाराम, ग्राम पोस्ट हरदयालपुरा, वाया पिपराली, जिला सीकर।	04.12.1958
6.	बाडमेर	श्री महेश कुमार दादाणी पुत्र श्री नन्दलाल दादाणी, बेरियों का बास, जिला बाडमेर।	25.09.1960
7.	भरतपुर	श्री प्रवीण फोजदार पुत्र स्व० श्री मानसिंह, ग्राम पोस्ट बहनेरा, तहसील एवं जिला भरतपुर।	04.08.1971
8.	बांसवाडा	श्री प्रताप पाटीदार पुत्र श्री रतन पाटीदार, मु० पो० सुरवानियां, जिला बांसवाडा।	05.04.1958
9.	झुंजरपुर	श्री सुखदेव यादव पुत्र श्री धुलाजी यादव, मु० पो० पुनाली, जिला झुंजरपुर।	05.07.1983
10.	हनुमानगढ़	श्री विनोद कुमार खाती पुत्र श्री महावीर प्रसाद, वी पी ओ सूरपुरा, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़।	10.10.1991
11.	जालौर	श्री बृजेश कुमार पुत्र श्री अमृत लाल बाजक, शान्ति नगर बी-ब्लॉक, रामदेव कॉलोनी, जिला जालौर।	01.07.1980

इन चयनित व्यक्तियों को उनके नाम के पहले अंकित जिलों के लिए लोकपाल पद पर नियुक्ति, ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित लोकपाल दिशा निर्देश दिनांक 23/12/2021 के बिन्दु संख्या 2.2.10 में उल्लेखित समयावधि दो वर्ष के लिए होगी, अथवा चयनित के 68 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले होगी, के लिए की जाती है। उक्त समयावधि सर्वप्रथम एक साल के लिए होगी जिसे प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

उक्त चयनित व्यक्तियों की नियुक्ति, ग्रामीण विकास मंत्रालय के लोकपाल के संशोधित दिशा निर्देश दिनांक 23.12.2021 में उल्लेखित शर्तों एवं राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अध्याधीन होगी।
 ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 23.12.2021 के विन्दु संख्या 2.2.13 के अनुसार राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशाषा पर लोकपाल को राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकेगा।
 चयनित व्यक्तियों को अपनी उपस्थिति, आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस को देकर अपनी कार्य ग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायें।
 चयनित व्यक्तियों से आशा की जाती है कि अपना कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व भारत सरकार द्वारा जारी लोकपाल दिशा निर्देश दिनांक 23.12.2021 अध्याय 3 के अनुरूप निभायेंगे।

(अपर्णा अरोस, IAS)
 प्रमुख शासन सचिव,
 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
 विभाग, राजस्थान

जयपुर, दिनांक 13/06/2022

क्रमांक: एफ 61(197) SSAAT / लोकपाल नियुक्ति /2021-2022/8300-17

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और भू-जल विभाग, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव खान, पेट्रोलियम एवं उर्जा विभाग, राजस्थान।
6. निजी सचिव, सयुक्त सचिव, (महात्मा गांधी नरेगा) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार कृषि भवन नई दिल्ली।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
8. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव खान, पेट्रोलियम एवं उर्जा विभाग, राजस्थान।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग।
11. निजी सचिव, आयुक्त EGS, जयपुर।
12. निजी सचिव, निदेशक, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार कृषि भवन नई दिल्ली।
13. सहायक लेखाधिकारी, प्रथम/द्वितीय (समस्त)
14. प्रांगामर / सूचना सहायक (SSAAT) को पालनार्थ।
15. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, एवं कोटा।
2. संबंधित जिला कलेक्टर जिला कार्यक्रम समन्वय ईजीएस, अलवर, जयपुर, झुंझुनु, सीकर, बाडमेर, भरतपुर, बांसवाड़ा, झुंझुनु, हनुमानगढ़, बीकानेर एवं जालोर।
3. संबंधित अतिरिक्त जिला कलेक्टर जिला कार्यक्रम समन्वय ईजीएस, अलवर, जयपुर, झुंझुनु, सीकर, बाडमेर, भरतपुर, बांसवाड़ा, झुंझुनु, हनुमानगढ़, बीकानेर एवं जालोर।

(संदीप चौहान)
 निदेशक

सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही
 एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)